पत्रावली संख्या - III - 305

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या - नौएडा/मु0वा0नि0/III - 305/2021/ 1181

दिनांकः- 08-01-2021

सेवा में,

M/s. ROSEBERRY ESTATE LLP
Flat No. 502, 5th, Floor,
23 Barakhamba Road, Narain Manzil,
New Delhi - 110001

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 24.12.2020** के संदर्भ में उप विभाजित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड **संख्या जी0एच0 - 01ए, सैक्टर - 43, नौएडा** पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के साथ भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी संस्था/उप पट्टा धारक द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमो के अनुसार ही कराया जायेगा ।
9. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
10. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
11. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
12. आबंटी/उप पट्टा धारक द्वारा सीवर एवं ड्रेनेज आदि का कनेक्शन प्राधिकरण के ट्रंक सीवर/ड्रेन में करने से पूर्व वर्क सर्किल को सूचित किया जायेगा एवं कनेक्शन के उपरान्त जंक्शन का मैन होल(Manhole) उप पट्टा धारक द्वारा स्वयं के व्यय पर निर्मित किया जायेगा। यदि प्राधिकरण की सडक आदि उक्त कार्य में क्षतिग्रस्त होती है तो उसको भी आबंटी संस्था/उप पट्टा धारक द्वारा निर्माण/मरम्मत करानी होगी।
13. आबंटी/उप पट्टा धारक द्वारा सीवर ड्रेनेज इन्वर्ट प्राधिकरण के ट्रंक सर्विसेस के इन्वर्ट से मिलान(मैच) करने होगे । यदि टेम्परेरी या परमानेन्ट पम्मिंग की आवश्यकता पडती है तो उसे उप पट्टा धारक द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।
14. आबंटी/उप पट्टा धारक द्वारा जल की व्यवस्था अपने श्रोतो से प्राधिकरण की वाटर लाईन संचालित होने तक, अपने व्यय पर करनी होगी। जल की व्यवस्था होने के उपरान्त तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आबंटी संस्था/उप पट्टा धारक को अवगत करा दिया जायेगा । उक्त के कारण यदि डिजाइन में संशोधन होता है तो आबंटी संस्था द्वारा संशोधित ड्राईंग/डिजाइन प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा ।

15. भूखण्ड/परिसर के अन्दर इलैक्ट्रीकल नेटवर्क एवं विद्युत लोड प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप होने की सूचना विद्युत सर्किल से प्राप्त करना होगा ।
16. वर्क सर्किल द्वारा बाहरी ड्रेनेज के लिए जो लेवल आबंटी संस्था/उप पट्टा धारक को उपलब्ध कराये जायेगा, उसके अनुरूप प्लान को तैयार कर प्राविधान करने होगे ।
17. पर्यावरण, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. आबंटी संस्था/उप पट्टा धारक द्वारा भवनों की ऊचाई हेतु एअरपोर्ट प्राधिकरण से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
19. ग्रीन, ओपेन स्पेस, ग्राऊण्ड कवरेज, एफ०ए०आर०, सैटबेक, भवन की ऊचाई आदि पर मास्टर प्लान भवन विनियमावली(यथा संशोधित), योजना के ब्रोशर, आबंटन, पट्टा प्रलेख मे दिये गये नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा कोई भी फीस/शुल्क मॉगे जाने पर आबंटी संस्था द्वारा देय होगा ।
21. आबंटी संस्था/ उप पट्टा धारक को प्राधिकरण/अन्य स्थानिय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क/उपयोग व्यय वहन करने होगे ।
22. सव-डिविजन रेगुलेशन तथा समय-समय पर जारी अन्य रेगुलेशन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
23. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनाँक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र यथावश्यक विभिन्न विभागों से एवं पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
24. सन्दर्भित योजना में दर्शाये गये सभी प्रकार के भवन निर्माण किये जाने से पूर्व प्रत्येक भवन का उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार नोएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित सुसंगत प्रभावी प्राविधानों सहित)के अनुसार निर्धारित शुल्क प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो तथा विस्तृत मानचित्रों के साथ पृथक से आवेदन कर पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज़ डीड की शर्तो एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि एवं न्यूनतम निर्धारित वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना पूर्ण करनी होगी।
26. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशो, बी.आई.एस. /आई0एस0 के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदोपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सटिर्फिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
27. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
28. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, अन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है।
29. गुणवत्तापूर्वक उच्चस्तरीय ढंग से परियोजना के क्रियान्वयन अवधि के समय तथा उसके उपरान्त अनुरक्षण, संचालन आदि के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, सक्षम न्यायालय आदि के अन्य नीतिगत निर्णयों/निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य रूप से आवेदक को करना होगा।
30. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नही किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिग/भू–जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू–जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू–जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।
31. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

32. ोजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
33. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट अदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रामाण-पत्र के निर्देशो के अनुसार करनी होगी।
34. सन्दर्भित योजना में प्रस्तावित टॉवर का आकार, क्षेत्रफल, ऊँचाई, तलो की संख्या, हरित क्षेत्रफल, पार्किंग क्षेत्रफल प्रतीकात्मक रूप से दर्शाये गये है । इनमें प्रथक-प्रथक योजनाओं में बदलाव विस्तृत भवन मानचित्र स्वीकृति के समय भवन विनियमावली के अनुरूप अनुमन्य किया जायेगा ।
35. ब्रोशर, पट्टा प्रलेख, उप पट्टा प्रलेख, उप पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित आदि के अध्यावधिक नियम, शर्तो प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे ।
36. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धनश् भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैलिलटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
37. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एंव पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खन्न, वृक्षारोपण/लैन्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिंड वेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइस/मानको/नियमों/शर्तो एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
38. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यो, सामुदायिक एवं जन सुविधाऐं, आवस्थापना सुविधाऐं, सभी स्ट्रक्चर, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वम करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशो का पूर्णतया पालन करना होगा।
39. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओ/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आबंटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नितियों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजना - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावश्यक पुर्वानुमति प्राप्त किऐ आवेदक द्वारा नहीं किया जाऐगा।
40. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आबंटी संस्था/उप पट्टा धारक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा ।
41. उ0प्र0 रेरा एवं अपार्टमेंट्स के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; नियम व उपविधि तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
42. आबंटी/उप पट्टा धारक को ग्रीन भवन हेतु आई0जी0बी0सी/लीड/ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशियेंसी द्वारा हर तीन र्वा में आज्ञा पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करना होगा । अगर उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रेषित नही किया जाता है तो एक माह के नोटिस पर प्राधिकरण द्वारा उसको निःशुल्क प्रदत्त एफ.ए.आर. का प्रशमन शुल्क क्रय योग्य एफ.ए.आर. का 200% की दर से वसूल किया जायेगा ।
43. संदर्भित योजना में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
44. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तो का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आबंटी संस्था/उप पट्टा धारक का होगा ।

45. पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करना सुनिश्चित करेंगे । सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग नहीं करेंगे। उल्लंघन करने की दशा में आवंटी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी ।
46. आबंटी/उप पट्टा धारक को परिसर के अन्दर ही सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट स्थापित करना होगा ।
47. आबंटी/उप पट्टा धारक को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 21/2014 में अलग-अलग तिथियों में पारित आदेशो के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, कार्यालय उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनाँक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29रिट/2014 दिनाँक 08.11.2016 से जारी निर्देशो के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगाः-

- Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
- The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
- The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
- It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- Wind breaking walls around construction site.
- All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
- Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters

(DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

- Green belt creation will also act as a mitigating factor.

- उप विभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल = 44310.00 वर्ग मी0
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @40% = 17724.00 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर.@3.50 = 155085.00 वर्ग मी0
- ग्रीन बिल्डिंग के लिए अनुमन्य एफ0ए0आर0 का अतिरिक्त 5% एफ0ए0आर0 = 7754.25 वर्ग मी0
- ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% एफ0ए0आर0 के साथ कुल अनुमन्य एफ0ए0आर0 (155085.00 + 7754.25) = 162839.25 वर्ग मी0 (3.67)

प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार हैः-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल (वर्गमी0)
भूतल	17724.00	3115.26
प्रथम तल	शेष एफ0ए0आर0	6473.81
द्वितीय तल		6653.45
तृतीय तल		5943.45
चर्तुथ तल		5424.91
पंचम तल		5413.22
छटवां तल		5413.22
सातवां तल		5413.22
आठवां तल		5424.91
नौवा तल		5413.22
दसवां तल		5413.22
ग्यारहवां तल		5413.22
बारवां तल		5424.91
तेरहवां तल		5413.22
चौदहवां तल		5413.22
पन्द्रहवां तल		5413.22
सोलहवां तल		5424.91
सत्रहवां तल		5413.22
अठरहवां तल		5413.22
उन्नीसवां तल		5413.22
बीसवां तल		4947.00
इकीसवां तल		5413.22
बाइसहवां तल		5413.22
तेइसहवां तल		5413.22
चौबीसहवां तल		5424.91
पच्चीसवां तल		5413.22
छबीसवां तल		5413.22
सत्ताइसवां तल		5413.22
अठाइसवां तल		1593.72
उन्नतीसवां तल		1593.72
तीसवां तल		1489.17

इक्तीसवां तल		1593.72
बत्तीसवां तल		1408.80
तैतीसवां तल		1408.80
चौतीसवां तल		1408.80
छत तल		499.87
कुल एफ.ए.आर. (5% हरित बिल्डिंग सहित)	**1,62,839.25**	**1,62,692.08 (ए)**
नॉन एफ0ए0आर0		
तहखाना(स्टैक पार्किंग)/	सेटबैक छोडने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	35056.72 (बी)
पोडियम(सामान्य पार्किंग)	7.50 मी0 भूखण्ड के चारो ओर छोडे जाने के पश्चात शेष क्षेत्रफल	21892.18 (सी)
सेवा क्षेत्रफल @15%	23262.75	23059.14 (डी)
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (ए + बी + सी + डी + सहित)	= 1,62,692.08 + 35,056.72 + 21,892.18 + 23,059.14 **= 2,42,700.12 वर्ग मी0**	

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 10227.19 वर्ग मी0 (23.08%)

प्रस्तावित एफ0ए0आर0(5% हरित बिल्डिंग सहित) = 1,62,692.08 वर्ग मी0 (3.67)

भवदीय

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval please.

Asstt. Arch Architect

(इश्तियाक अहमद) 01/2021

महाप्रबन्धक(नियोजन)

नौएडा

(इश्तियाक अहमद) महाप्रबन्धक (नियोजन) नौएडा

1. सेकेट्री, स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ0प्र0, डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेन्ट, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ ।
2. सहा0महाप्रबन्धक (ग्रुप हा0) को सूचनार्थ ।
3. मै0 शिप्रा ईस्टेट लि0, फ्लैट सं0–502, 502ए, पाचवां तल 23 बारहखम्बा रोड, नारायन मंजिल, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ।